॥ श्री गणेशाय नमः ॥

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

04DD 734470

बैनामा 1295000/–रूपया स्टाम्प हेतु मालियत 1295000/–रूपया स्टाम्प देय 129500/–रूपया बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/–रूपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या–41 के कमांक 1 पर दर्ज हैं। कार्य क्षेत्र उ0नि0 मथुरा ।

मैं कि श्रीमती गुलकन्दी पत्नी श्री मवासी निवासी ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की हूं।

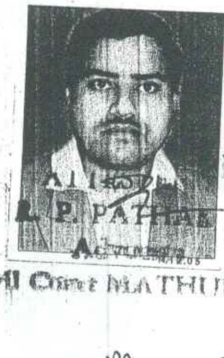

Civil Court MATHURA

क्रमांक 8 दिनांक 28-12-08 मूल्य 25 व0020
नाम श्री प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह
पता [illegible] मथुरा

माया प्रकाश वाजपेयी
उप कोषाधिकारी
कोषागार, मथुरा

प्रिंसन दरतावेज
नि0शु0 ... प्रति मु0 ... योग ...
डाक व्ययक ... 5020

श्री श्री गुलाबचन्दी
पुत्र श्री नवाबसी
निवासी [illegible]
ने यह प्रलेख आज दि0 28/12/08
को समय मध्य ... दिन के कार्यालय
उप निबन्धक मथुरा में प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक
मथुरा ... II
28/12/08

प्रस्तुत लेखपत्र का विवरण सुन व समझ कर
तथा अंकन मु0 12,95,000 बारह लाख पिचानवे हजार रुपये
प्राप्त कर श्री श्री गुलाबचन्दी [illegible]
प्र0 पक्ष एवं श्री [illegible]
द्वितीय पक्ष ने स्वीकार किया।

शिनाख्त पहचान श्री रामकृष्ण
पुत्र श्री नवाबसी
निवासी [illegible]
व श्री हरीचन्द
पुत्र श्री [illegible]
निवासी [illegible] ने की।

उप निबन्धक
मथुरा II
28/12/08

रामकृष्ण हरीचन्द

साक्षी भद्र प्रतीत होते हैं।
अंगुष्ठ नियमानुसार लिये गये।

उप निबन्धक
मथुरा II

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

03CC 322116

Senior Treasury Officer - Mathura

28 DEC 2005

Sig-Sr.T.O.

(2)

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–47 व खसरा नंबर–94 रकवा 2.614 हैक्टेयर लगानी 42/–रूपये सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 1/2 मिल्कियत मेरी है और सरकारी कागजात माल में मैरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 1/2 पर मेरा कव्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 1/2 में सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं

03CC 322115

Senior Treasury Officer - Mathura
28 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

(3)

है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे हिस्से 1/2 का बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा 1/2 एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/—रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/2 की स्टाम्प हेतु मालियत 1295000/—रूपया है

(3)

लि. गुलकन्दी

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हजार रूपये

RUPEES

20000

रूपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

सत्यमेव जयते

03CC 322114

कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी हिस्सा 1/2 को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज़ 1295000/—बारह लाख पिच्यानवें हजार रूपया जिसके आधे 647500/—छैः लाख सैंतालीस हजार पांच सौ

03CC 322113

2 6 DEC 2005

(5)

रूपया होते हैं। बदस्त प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैकतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 100000/–एक लाख रूपया खरीदार से बतौर पैशगी बजरिये इकरारनामा दिनांक–24.6.2004 द्वारा पाया व 1000000/–दस लाख रूपये बजरिये दो किता चैक प्रथम नंबर–8271765 व द्वितीय नंबर–8271766 दोनों चैक बैंक ऑफ इण्डिया

(5)

03CC 322112

Senior Treasury
Officer - Mathura
28 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

(6)

तिलकद्वार मथुरा शाखा दोनों दिनांक–28.12.2005 प्रत्येक तादादी 500000/–रूपये द्वारा पाये व 195000/–एक लाख पिच्यानवें हजार रूपये नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा पाकर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/2 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/2 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी

1000Rs.

Senior Treasury
Offiecr - Mathura
26 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

(7)

प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/2 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Senior Treasury Offiecr - Mathura

2 6 DEC 2005

Sig-Sr.T.O.

(8)

मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में क़ोई पेड़ आदि है । क्रेता व विक्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी

1000Rs.

Senior Treasury Offiecr - Mathura
26 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबधंन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही

1000Rs.

Senior Treasury
Offiecr - Mathura
2 6 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

(10)

नंबर–4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर–560 पर दिनांक–30.12. 2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को क्रेता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

500Rs.

11)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–28.12.2005

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया पुत्र स्व0 श्री महेशकुमार
गिर्राज फोटो स्टेट. मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

नि: गुलकन्दी

गवाह

रम्भूला प्रजापति
मवासी
ग्राम - आन्योर (भीमनगर)
रम्भूला गोवर्धन
मथुरा

गवाह

हरीचन्द्र प्रजापति
पुत्र ...
भीमनगर (आन्योर)
गोवर्धन मथुरा
हरीचन्द

जनरल स्टाम्प 2005
क्रमांक 92 दि० 20 ....
नाम.......................... 100 पाँच सौ रु०
संलग्न सं०.............. मि०..........

कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी
स्टाम्प विक्रेता लाइ० नं० 7 सन 1983
दफ्तर रजिस्ट्री शाखिल मथुरा

कोषागार, मथुरा
26 DEC 2005
हस्ताक्षर-रोकड़िया

आज दिनांक 20/12/05 को बाही नीचे बहि पुस्तक संख्या 1 जिल्द 1683 के पृष्ठ 83-106 में नम्बर 12693 पर रजिस्ट्री कर दिया गया।

उप निबन्धक द्वितीय, मथुरा

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्योर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।									
00047	श्रीमती गुलकन्दी	मासो	नि. ग्राम	1360फ	87	1.3030		1408फ	
	रामगोपाल	मासो	नि. ग्राम	1360फ	94	2.6140		व.आदेश रा0 नि0 कोसी खुर्द दि019-9-2000पृक 11क के कनाक26खा0 47परराम गोपाल मृतक बताया गया मृतक का नाम खारिज करके वारिस श्रीमती अंगूरी बेवा राम गोपाल नि0 ग्राम बतौर वारिस दर्ज हो। ह0 लं0 19.09.2000 1413फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद संख्या 411TM ता.फै.29.1.06 के अनुसार खाता संख्या 47 खसरा संख्या 94/2.614 भू.रा.42.00 के 1/2 भाग से विक्रेता श्रीमती गुलकन्दी पत्नी मासो निवासी आन्योर का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्टशन मथुरा का नाम बतौर सं.भू. दर्ज हो। ह.र.का.29.1.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद सं.1275 TM ता.फै.19.9.06 के अनुसार खाता सं.47 गाटा सं.94/ 2.614 भू.रा.42.00 के यथोचित भाग से विक्रेता श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी रामगोपाल निवासी ग्राम का नाम ... बैनामा दिनांक 1.8.06 के खारिज होकर क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन कालोनी मोजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का नाम बतौर सं.भू. दर्ज हो ह.र.का.19.9.06	

कुल गाटे : 2 कुल क्षे : 3.9170 64.85

11/1/2006

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता पति संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13

हस्ताक्षर

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 20/2006-07

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अ0

मौजा आन्यौर

घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0.

तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 15.11.2006 से विदित है कि मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता खतौनी संख्या 47खसरा संख्या 94/2.614है. भूराजस्व 42.00पैसे के प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं । मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है । प्रश्नगत भूमि में गांव सभा भूमि सम्मिलित नहीं है । प्रश्नगत भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग द्वारा किसी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है ।तहसीलदार, मथुरा द्वारा आबादी घोषित करने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्न प्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है ।

मौजा परगना व जिला	भूमिधर का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में आने वाली भूमि का विवरण खसरा	रकबा	भूराजस्व	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्यौर महावन जिला मथुरा	प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि0 मोतीकुंज एक्सटेंशन तह. व जिला मथुरा	47	94	2.614है.	42.00	94	2.614है.	42.00पैसे	
	योग-		1किता	2.614है.	42.00	1किता	2.614है.	42.00पैसे	

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जाये ।

दिनांक: 22.11.2006

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

दिनांक: 22.11.2006

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा।